पत्रांक–2प / वि–17–119 / 2018 / 11674 / पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,भा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 11/8/2025

विषय : राज्य के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में अधिष्ठापित आर०टी०पी०एस० केन्द्रों पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक–3744 दिनांक 23.07.2021, पत्रांक–1696 दिनांक 04.03.2022 एवं पत्रांक–5999 दिनांक 10.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत कार्यालयों में अधिष्ठापित आर०टी०पी०एस० केन्द्रों पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति ग्राम पंचायत से अन्यत्र नहीं करने का निदेश दिया गया था।

आप अवगत हैं कि लोक सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ग्राम पंचायत कार्यालय में अधिष्ठापित आर०टी०पी०एस० केन्द्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इन आर०टी०पी०एस० केन्द्रों के संचालन एवं ग्राम पंचायत स्तर के आई०टी० से संबंधित सभी कार्य यथा ई–ग्राम कचहरी, ई–ग्राम स्वराज, ई–पंचायत पोर्टल, निश्चय सॉफ्ट पोर्टल आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक को नियोजित किया गया है।

विदित हो कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों में अवस्थित आर०टी०पी०एस० केन्द्रों के माध्यम से कुल–44 प्रकार की सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है। ग्राम पंचायतों में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल–44 सेवाओं यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने तथा तैयार प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पंचायत कार्यपालक सहायक की होती है।

इस संदर्भ में विभिन्न स्तर पर समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर से आदेश निर्गत कर ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्यपालक सहायक को जिला/अनुमंडल/प्रखंड से संबंधित अन्य कार्यों के लिए अन्यत्र प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित आर०टी०पी०एस० केन्द्र का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यपालक सहायक के नहीं रहने पर आर०टी०पी०एस० केन्द्र पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या शून्य या अत्यधिक कम प्राप्त हो रही है। आर०टी०पी०एस० केन्द्र का निरंतर संचालन राज्य सरकार की घोषित प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। साथ ही इनकी अन्यत्र प्रतिनियुक्ति किये जाने कारण ग्राम पंचायत के अन्य कार्य यथा ई-ग्राम कचहरी, ई-ग्राम स्वराज, ई-पंचायत पोर्टल, निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर भी डाटा प्रविष्टि नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रविष्टि पोर्टल पर नहीं किये जाने के कारण ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले व्यय भी परिलक्षित नहीं होते हैं जिस कारण ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले राजस्व प्रभावित होते हैं।

ज्ञातव्य हो कि कार्यपालक सहायक के मानदेय का भुगतान प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जाता है।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निदेश दिया जाता है कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक सहायक की उपस्थिति विवरणी उनके ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थिति के आधार पर ही निर्गत किया जाएगा। यदि कोई कार्यपालक सहायक किसी भी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्त (निर्वाचन एवं आपदा अवधि को छोड़कर) है तो उनका उपस्थिति विवरणी शून्य कर निर्गत किया जाएगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा इनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाये कि आर०टी०पी०एस० केन्द्रों पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति निर्वाचन एवं आपदा अवधि को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत से अन्य विभिन्न कार्यालयों में नहीं किया जाये, ताकि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं ग्राम पंचायत के अन्य कार्य प्रभावित ना हो।

इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन
11/9/25
(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–2प / वि–17–119 / 2018 / 11674 / पं0रा0 पटना, दिनांक 11 / 8 / 2025
प्रतिलिपिः–सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/25

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–2प / वि–17–119 / 2018 / 11674 / पं0रा0 पटना, दिनांक 11 / 8 / 2025
प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/8/25

(मनोज कुमार)
सचिव